

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली


मुं १० ३५/१८

तारीख-०४ ०६ २०१८

उपलक्षण- भवताल बनाम विरंज वगैरे

प्रार्थना पत्र अर्थाई निवेधाना

दिनांक	कार्य अहवाल	
०४.०६.२०१८	<p>प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र बाबत अर्थाई निवेधाना अन्तर्गत धारा आर.टी.एक्ट २१२ के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जामखन्देरायण पत्र, का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कमील की अन्तरिम अर्थाई निवेधाना के संबंध में पट्टरा की सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को अन्तरिम अर्थाई निवेधाना से आगामी तिथि तक पाबन्द किया जाता है। कि भवेद्य में आराजी भूमि २०१० १०३८/०.२०, १०४०/०.४६, १०४१/०.०३, १०४२/०.०२, १०४३/०.१३, १०४४/०.२७ कुल क्षेत्र ६ एकड़ १.११ हे० में साबला के काष्ठोत्पादन में किली प्रकार का डिज न करे। रिजर्व्ड एच मीफ की स्थिति बचावत बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अर्थाई निवेधाना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी कर तलब करे। पत्रावली दिनांक- १२.०७.२०१८ को पेश हो।</p>	<p>2030-33 4/6/18</p>
१५-६-१८	<p>प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा हो जाने मुकदमा आगे नहीं चलाने खारिज करने वाले मिस्टर तलबी चेश किया। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी की ओर से मुकदमा आगे नहीं चलाने व खारिज करने के कथन पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्थाई निवेधाना खारिज किया जाता है। पत्रावली फैल्ल शुजा होम् नान्हेर का होम् दावा मिस्टर के साथ संलग्न रहे।</p>	


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)